न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 53/2024

1. महेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. कंचन पुत्री विनोद कुमार जाति सुथार साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
2. कपिल सुथार विनोद कुमार विनोद कुमार जाति सुथार साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
3. सरोज पत्नि विनोद कुमार जाति सुथार साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
4. अश्विनी कुमार पुत्र राजेशजाति सुथार साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5. आशकरण पुत्र राजेश जाति सुथार साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
6. सन्तोष पत्नि राजेश जाति सुथार साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–06

निर्णय दिनांकः–09.04.2025

अपीलांट महेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर द्वारा बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर के आदेश दिनांक 06.10.2024, जिसकी रूह से नामान्तरण सं. 1894 दिनांक 23.05.2024 को दर्ज व तस्दीक किया गया है, को निरस्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलकृत आदेश दिनांक 06.10.2024 जिसके आधार पर नामान्तरण सं. 1894 दिनांक 23.05.2024 को दर्ज व तस्दीक किया गया है बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रूहदाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया गया है तथा काबिल मन्सुखी है, नकल नामान्तरण सं. 1894 सलंग्न अपील है।

2. अपील से सम्बधित कुर्सीनामा फरीकेन निम्न प्रकार से है–

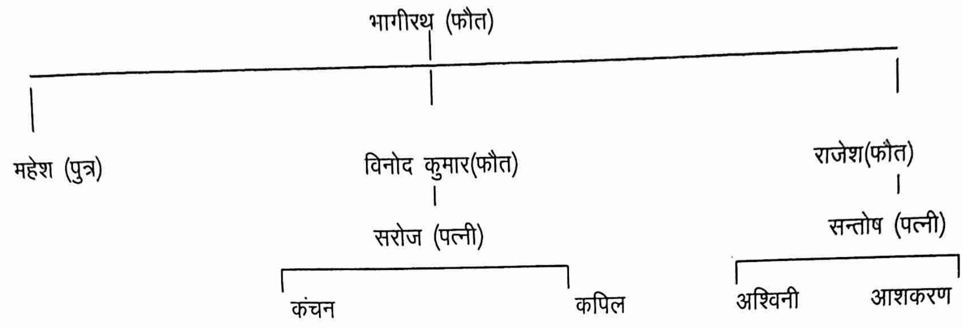

3. यह कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 347 के खसरा सं. 385 की 2.4160 हैक्टर भूमि खसरा सं. 386 की 4.8430 हैक्टर व खसरा सं. 387 की 1.3280 हैक्टर भूमि कुल 8.5870 हैक्टर भूमि में से 1/8 हिस्सा भागीरथ पुत्र कानाराम जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर मुश्तरका खातेदार काश्तकार था तथा भागीरथ पुत्र कानाराम सुथार दिनांक 25.03.2021 को देहान्त हो चुका है तथा उसके जायज वारिसान उसका लड़का महेश कुमार अपीलान्ट व उसके मृतक पुत्र विनोद कुमार के पुत्र व पुत्री व धर्मपत्नि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 व उसके दुसरे मृतक पुत्र राजेश के पुत्रगण व उसकी धर्मपत्नि रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 6 है यानि मृतक भागीरथ पोते व मृतक पुत्र की धर्मपत्नि है तथा मृतक भागीरथ पुत्र कानाराम की जगह हकदार खातेदार है तथा उक्त मृतक भागीरथ के 1/8 हिस्सा में अपीलान्ट अकेला 1/3 हिससा का यानि अकेला 1/24 हिस्सा का तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 तीनो ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा के तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 6 तीनो ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार कातश्कार नियमानुसार है।

4. मृतक भागीरथ पुत्र कानाराम जाति सुथार के दिनांक 25.03.2021 को देहान्त के पश्चात उसकी खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 347 की कुल तादादी 8.5870 हैक्टर भूमि में से 1/8 हिस्सा, भूमि यानि मृतक भागीरथ के हिस्सा में मातहत अदालत ने उसके जीवित पुत्र महेश कुमार अपीलान्ट को हिस्सा उसके मृतक पुत्रो के [illegible] रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6 के ब.हि.ब. दर्ज कर दी जो गलत दर्ज किया है नियमानुसार अपीलान्ट अकेले को 1/56 हिस्सा की जगह 1/24 हिस्सा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी तथा इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 तीनो को 3/56 की जगह 3/72 हिस्सा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी तथा इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 4 तीनो को 3/56 की जगह 3/72 हिस्सा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी तथा इसी अनुसार मातहत अदालत को मृतक भागीरथ की जगह उसके

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वारिसान के नाम हिन्दु विधि के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान किस हिसाब से हिस्सा दर्ज होता है। उसको ध्यान में रखते हुऐ दर्ज करना चाहिए था मगर मातहत अदालत ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2024 की दर्ज व तस्दीक करने की सपुष्टि करने में कानूनी गलत की है तथा आदेश व उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण काबिल मन्सुखी है।

5. मातहत अदालत ने प्रथम दृष्टया मृतक का वारिस प्रमाण पत्र व मृत्य प्रमाण पत्र होते हुऐ इस बात की कतई जाँच नही की जीवित पुत्र व मृतक पुत्रगण के वारिसान का हिस्स) बराबर नही होता है यानि चाचा व भतीजो का बराबर हिस्सा हिन्दु विधि में नही होता है चाचा, भतीजो से एक पीढी उपर आता है मगर मातहत अदालत ने हिन्दु विधि का कोई विश्लेषण व अनुशीलन ना करते हुऐ मृतक भागीरथ के हिस्सा को गणना गलत रूप से करते हुऐ अपीलान्ट के हिस्सा को कम दर्ज किया है इसलिए मातहत अदालत के नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाना कानूनन रूप से व इन्साफन आवश्यक है।

6. मातहत अदालत के आदेश दिनांक 06.10.2024 उसके आधार दर्ज व तस्दीक नामान्तरण सं. 1894 दिनांक 23.05.2024 नियमानुसार आदेश व निर्णय की परिभाषा नही रखा जा सकता है तथा ना ही अपना स्वविवेक काम लिया है तथा आदेश दिनांक 06.10.2024 व उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण सं. 1894 दिनांक 23.05.2024 बअदालत मातहत काबिल निरस्तनीय है।

7. अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है एवं 2 रूये की कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा देरी को माफ करवाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है।

लिहाजा यह अपील अपीलान्ट की तरफ से पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश 06.10.2024 बअदालत मातहत उसके आधार पर तस्दीक नामान्तरण सं. 1894 दिनांक 23.05.2024 को दर्ज व तस्दीक करने की सपुष्टि की है, को अपास्त फरमाया जावे तथा हिन्दु विधि अनुसार नामान्तरण दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजि[illegible] रेस्पो[illegible] रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–06 की [illegible] गोदारा उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 एंव 6 रजिस्ट्रर्ड डाक से ता[illegible] के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार से अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1894 दिनांक 23.05.2024 मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4, 6 रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होनें बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलांट एंव

अतिरिक्त जिला कलक्टर
[illegible] ([illegible])

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–6 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विरासतन नामान्तरण संख्या 1894 दिनांक 23.05.2024 की अपील पेश की गई। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार विरासतन नामान्तरण दर्ज होते है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम श्रेणी के वारिस एंव द्वितिय श्रेणी के वारिसों में बराबर हक व हिस्सा का नामान्तरण दर्ज किया गया है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। प्रथम श्रेणी एंव द्वितिय श्रेणी के वारिसान का नियमानुसार नामान्तरण दर्ज किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 1894 दिनांक 23.05.2024 को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–06 ने अधिवक्ता अपीलांट के कथन से सहमती जाहिर कर निवेदन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव पत्रवाली का अवलोकन किया गया तो पाया कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 347 के खसरा नं0 385 की 2.4160है. भूमि, खसरा नं0 386 की 4.8430 है0 व खसरा नं0 387 की 1.3280है0 कुल भूमि 8.5870 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा अपीलांट के पिता भागीरथ पुत्र कानाराम निवासी टोपरिया तहसील नोहर के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे। भागीरथ पुत्र कानाराम का दिनांक 25.03.2021 को देहान्त होनें के पश्चात उनके वारिसान अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट के नाम विरासतन ब.हि.ब. भूमि का नामान्तरण किया गया जबकि प्रथम श्रेणी के वारिसों में पुत्र– पुत्रिया एंव द्वितिय श्रेणी के वारिसो में पुत्रों के पुत्र– पुत्रियां होती है। भागीरथ पुत्र कानाराम के कुल 7 वारिस है जिनमें एक पुत्र एंव दो पुत्र(मृतक) के 6 वारिस है। अपीलांट (जीवित पुत्र) को 1/8 भूमि में से 1/3 हिस्सा एंव अन्य वारिसान को 1/24 हिस्सा का विरासतन नामान्तण दर्ज होना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन नामान्तरण दर्ज करनें के प्रथम श्रेणी एंव द्वितिय श्रेणी के वारिसान का ध्यान नहीं रख कर त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1894 दिनांक 23.05.2024 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावें पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक [illegible] /25 को सरेइजलास सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.05.20 13:17:34 IST
Reason: SelfAttested

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)